

सं.13034/2/2018/रा.भा./नीति

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

चौथी मंजिल, एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग

जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 24 जुलाई, 2018

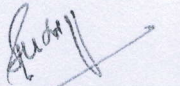
कार्यालय ज्ञापन

विषय : अनुवाद कार्य के लिए देय पारिश्रमिक/मानदेय में वृद्धि के संबंध में।

कृपया राजभाषा विभाग के दिनांक 15.05.2018 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन (प्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसके तहत अनुवाद कार्य के लिए रु.300/- (रुपए तीन सौ) प्रति पृष्ठ की अधिकतम दर से अनुवाद की दरें निर्धारित करने के लिए सिद्धांत रूप में सहमति प्रदान की गई है।

2. अनुवाद की दरों में वृद्धि के संबंध में इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के उपरांत अनेक मंत्रालयों/विभागों से पत्र के माध्यम से इस विभाग को अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि एक मानक पृष्ठ में शब्दों की संख्या स्पष्ट की जाए, ताकि भ्रम की स्थिति से बचा जा सके।

3. उक्त के मद्देनजर, यह स्पष्ट किया जाता है कि एक मानक पृष्ठ में 300 शब्द गिने जाएं। रु.300/- प्रतिपृष्ठ अनुवाद की दर में अनुवाद, टंकण और पुनरीक्षण कार्य शामिल हैं।


(डॉ श्रीप्रकाश शुक्ल)

संयुक्त निदेशक (नीति)

फोन : 23438250

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि

सं.13034/2/2018/रा.भा./नीति

गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

चौथी मंजिल, एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग

जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 15 मई, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अनुवाद (अंग्रेजी से हिंदी एवं हिंदी से अंग्रेजी) कार्य के लिए देय पारिश्रमिक/मानदेय में वृद्धि के संबंध में।

कृपया राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.13011/1/2009/रा.भा./नी.सं. दिनांक 11.11.2011 का अवलोकन करें, जिसके तहत अनुवाद कार्य के लिए पारिश्रमिक की दरें 250/- रुपये प्रति हजार शब्द तय की गई थी। विभाग द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उक्त दरों की समीक्षा की गई और यह महसूस किया गया कि इस समय पारिश्रमिक की उक्त दर व्यावहारिक नहीं है।

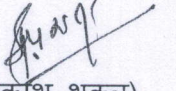
2. अनुवाद कार्मिकों की भारी कमी का सामना कर रहे मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा आउटसोर्सिंग आधार पर आवश्यक और तात्कालिक अनुवाद कार्य कराने के लिए पारिश्रमिक को तर्कसंगत बनाने के मुद्दे पर राजभाषा विभाग द्वारा अनुवाद कार्य कराने हेतु रु.300/- (रुपये तीन सौ) प्रति पृष्ठ की अधिकतम दर से अनुवाद की दरें निर्धारित करने के लिए सिद्धांत रूप में सहमति प्रदान की जाती है। यह दर निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अधीन होगी :-

- (i) रुपये 300/- प्रति पृष्ठ की दर रिजर्व दर के रूप में होगी। यदि अनुवाद कार्य के लिए मैन पावर की आवश्यकता होती है तो उसे GFR-2017 के प्रावधानों के अनुसार आउटसोर्स किया जायेगा।
- (ii) बजट की उपलब्धता तथा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति ली जायेगी।

3. अनुवाद की दरों के संबंध में, अन्य नियम एवं शर्तें, राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.13011/1/2009/रा.भा./नी.सं. दिनांक 11.11.2011 के अनुरूप होंगी।

4. यह आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होगा।

5. इसे आंतरिक वित्त-2 अनुभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 08.05.2018 के अ.वि.टि.सं.3423357/वित्त-2/2018 में दी गई सहमति से जारी किया जाता है।


(डॉ श्रीप्रकाश शुक्ल)

संयुक्त निदेशक (नीति)

फोन : 23438250

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि